फर्द अहकाम

[नियम 26]

अदालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर मुकाम अलवर

.... बनाम ....

नाम मुकदमा ....नं० ....सन् ....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	15/9/22 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 29/9/22 को पेश हो। रीडर	
29/9/22	पक्षकारान उप० / रेस्पो० क्र० 1703 मी और से [illegible] अपील हुई के [illegible] का [illegible] तलबी रेस्पो० क्र० 1 हेतु तलबाना पेश किया दि० 27-10-22 को पेश हो।	
27/10/22	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 3/11/22 को पेश हो। रीडर	
3/11/22	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 12/1/23 को पेश हो। रीडर	
	12/1/23 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 4/5/23 को पेश हो। रीडर	
	4-5-23 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 1-8-23 को पेश हो। रीडर	

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	1-8-23 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यो में व्यस्त है। दिनांक 29-8-23 को पेश हो। रीडर
	29-8-23 वकील वादी/वकुलाय उप०। बार का कार्य स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते........ दिनांक 12-9-23 को पेश हो।
	12-9-23 वकील वादी/वकुलाय उप०। बार का कार्य स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते पूर्ववत् दिनांक 21-11-23 को पेश हो।
	21-11-23 पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्य में व्यस्त होने के कारण पेशी दिनांक 29-01-24 लगाई जाती हैं। रीडर
29/1/24	पत्रावली पेश हुई है। स०1 की विधि अनुसार तामील नहीं हुई है तलबी हेतु तलबाना ……… हो पत्रावली दिनांक 4-3-24 को पेश होवे। पीठासीन अधिकारी
	4-3-24 वकील वादी/वकुलाय उप०। बार का कार्य स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते........ दिनांक 13-5-24 को पेश हो। अहलमद
	13-5-24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 15-7-24 को पेश हो। रीडर

फर्द अहकाम

[नियम 26]

अदालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर मुकाम अलवर

.... बनाम ....

मुकदमा ....नं० ....सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	15-7-24 पत्रावली पेश हुई। ... पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 2-9-24 को पेश हो। रीडर	
	2-9-24 पत्रावली पेश हुई। ... पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 14-10-24 को पेश हो। रीडर	
	14-10-24 वकील वादी/वकलाय उप0। बार का कार्य स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते......... दिनांक 21-10-24 को पेश हो।	
	21-10-24 पत्रावली पेश हुई ~~[illegible]~~ वकील हड़ताल जारी रही पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 05-11-24 को पेश होवे। उपखण्ड अधिकारी अलवर	
	05-11-24 पत्रावली पेश हुई निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया निर्णय की प्रति पृथक से तहसीलदार अलवर को भिजवाई जाकर पत्रावली नकल से फारिग हो बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे। उपखण्ड अधिकारी अलवर	

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,अलवर जिला अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रतीक जुईकर (आई0ए0एस)

मु.नं.	किस्म	तारीख दायर	तारीख निर्णय
5/11	अपील	15.01.2022	05.11. 2024

उनवान

1:–जगदीश प्रसाद पुत्र रघुवीर जाति जाट
2:–लिछमनराम पुत्र रघुवीर जाति जाट निवासीयान ग्राम केरवाजाट तहसील व जिला अलवर

अपीलान्टान

बनाम

1:– ग्राम पंचायत केरवाजाट पंचायत समिति मालाखेडा जिला अलवर जरिये सरपंच

असल रेस्पाडेन्ट

2:–धोली पुत्री रघुवीर जाति जाट
3:–केसर देवी पत्नी रघुवीर जाट
4:–विक्रमसिंह पुत्र रघुवीर जाति जाट निवासीयान ग्राम केरवाजाट तहसील व जिला अलवर

तरतीबी रेस्पाडेन्टान

अपील विरूद्ध इंतकाल संख्या 1552 दिनॉक प्रविष्टि 16.04.2022, 22–4–22 वाके ग्राम कैरवाजाट पंचायत समिति मालाखेडा, तहसील अलवर

निर्णय

अपीलान्टस ने राज.भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत जर्ये वकील ने निवेदन किया कि इंतकाल संख्या 1552 दिनांक 22–04–2022 को ग्राम पंचायत केरवाजाट पंचायत समिति मालाखेडा तहसील व जिला अलवर द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिससे अपील न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य है मिन अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पाडेन्टान के पिता रघुवीर पुत्र छोटक्या के स्वर्गवास के पश्चात उनकी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 549, 550 खाता सख्या 240, 1212, 1287, 1289, 623, 624/1705, 627 खाता संख्या 273 वाके ग्राम केरवाजाट का विरासत इंतकाल संख्या 1552 दिनांक 22–04–2022 को स्वीकार किया गया है। जिस इन्तकाल में सहबन से किसी दीगर व्यक्ति की खातेदारी खाता सख्या 309 तथा 312 की आराजी भी शामिल हो गई। जिसकी जानकारी मिन अपीलान्ट को दिनांक 23–08–2022 को हुई जबकि मिन अपीलान्ट ने उक्त इंतकाल की नकल प्राप्त कर उसका अवलोकन किया। यह अपील जानकारी की तारीख से अंदर मियाद पेश की जा रही है। जिस हेतु धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

मिन अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पाडेन्टान के पिता श्री रघुवीर पुत्र छोटया उर्फ छोटक्या का स्वर्गवास हो गया जिसके पश्चात उनकी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 549 रकबा 0.5500 हैक्टेयर, 550 रकबा 0.2000 हैक्टेयर कुल खसरा 2 रकबा 0.7500 हैटेक्टेयर खाता संख्या 240 एवं आराजी खसरा नम्बर 1212 रकबा 0.9400 हैक्टेयर, 1287 रकबा 0.2400

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

क्टेयर, 1289 रबा 0.5000 हैक्टेयर, 623 रकबा 0.3600 हैक्टेयर, 624/1705 रकबा 0.3200 क्टेयर एवं आराजी खसरा नम्बर 627 रकबा 0.0800 हैक्टेयर कुल खसरा 6 रकबा 2.4400 हैक्टेयर खाता संख्या 273 वाके ग्राम केरवाजाट तहसील व जिला अलवर का विरासत इंतकाल स्वीकार कराने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया था। जिस आवेदन में सहबन से मानवीय भूल से खाता संख्या 312 की आराजी खासरा नम्बर 851, 852, 583, 855, 856 एव खाता संख्या 309 की आराजी खसरा नम्बर 1642 भी अंकित कर दी गई।

यह कि उक्त इंतकाल में आराजी खसरा नम्बर 1642 खाता संख्या 309 एवं आराजी खसरा नम्बर 851, 852, 853, 855, 856 कुल खसरा 5 रकबा 1.0900 हैक्टेयर खाता संख्या 309 भी सहबन से सम्मिलित कर दी गई। चूँकि उक्त आराजी किसी अन्य खातेदार रघुवीर पुत्र छोक्टया की खातेदारी की आराजी थी। इस प्रकार समान नाम होने के कारण उक्त इंतकाल में त्रुटि हो गई।

यह कि मिन अपीलान्टान व तरतीवी रेस्पाडेन्टान का आराजी खसर नम्बर 1642 खाता संख्या 309, एवं आराजी खसरा नम्बर 851, 852 853, 855, 856 कुल खसा 5 रकबा 1.0900 हैक्टेयर खाता संख्या 309 से कोई सम्बन्ध व सरोकार किसी प्रकार का नही है तथा जिस खातेदार की आराजी है उसका मिन अपीलान्टान के उपरोक्त इंतकाल में अंकन होने से उसके अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पडने की सम्भावना है इसलिए यह अपील वास्ते संशोधन नेक नियती व सदभावना से पेश की जा रही है।

ग्राम पंचायत ने इंतकाल स्वीकार करने से पूर्व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन नहीं किया है अन्य उजात वक्त बहस जुवानी अर्ज किये जावेगे।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत केरवाजाट पंचायत समिति मालाखेडा जिला अलवर द्वारा स्वीकृत किया गया इंतकाल संख्या 1552 आज्ञा दिनांक 22–04–2022 वाके ग्राम केरवाजाट तहसील व जिला अलवर राज० को संशोधित कर उक्त इंतकाल में से आराजी खसरा नम्बर 1642 खाता संख्या 309, एवं आराजी खसरा नम्बर 851, 852 853 855 636 कुल खसा 5 रकबा 1.0900 हैक्टेयर खाता संख्या 309 वाके ग्राम केरवाजाट तहसील व जिला अलवर का इन्द्राज कलमजन कराया जाकर संशोधित इंतकाल स्वीकृत कराये जाने की कृपा की जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस जरिये नोटिस तलब किये गये। तीरतीबी रेस्पोडेन्ट के वकील उपस्थित उनके द्वारा अपीलान्टयान के कथनो को सही व सत्य बताया तथा अपनी सहमति प्रदान की रेस्पोडेन्ट स० 1 विधि सम्मत तामील उपरान्त भी उपस्थित नही हुये उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल मे लेते हुये बहस सुनी गई बहस मे अपीलान्ट के द्वारा कथन किया कि ग्राम पंचायत केरवाजाट पंचायत समिति मालाखेडा जिला अलवर द्वारा स्वीकृत किया गया इंतकाल संख्या 1552 आज्ञा दिनांक 22–04–2022 वाके ग्राम केरवाजाट तहसील व जिला अलवर राज० को संशोधित कर उक्त इंतकाल में से आराजी खसरा नम्बर 1642 खाता संख्या 309, एवं आराजी खसरा नम्बर 851, 852 853 855 636 कुल खसा 5 रकबा 1.0900 हैक्टेयर खाता संख्या 309 वाके ग्राम केरवाजाट तहसील व जिला अलवर इन्द्राज कलमजन कराया जाकर संशोधित इंतकाल स्वीकृत कराये जाने की कृपा की जावे उक्त आराजीयान का सहवन से इन्द्राज हुआ है उक्त आराजी अपीलान्ट का कोई वास्ता नही है।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया वकुलाय को सुना गया प्रार्थना पत्र दफा 5 पर नरम रूख अपनाते हुऐ प्रार्थना पत्र दफा 5 स्वीकार किया तथा बहस पर मनन किया। तहत पारित आलोच्य आदेश प्रथम दृष्टया अपास्त योग्य प्रतीत होता है अतः अपील अपीलान्ट इस हद तक स्वीकार की जाती है। तहत पारित आलोच्य आदेश ग्राम कैरवाजाट तहसील अलवर की आज्ञा इंतकाल संख्या 1552 दिनॉक 22–04–2022 बावत इन्तकाल स0 1552 वाके ग्राम कैरवाजाट ग्राम पंचायत कैरवाजाट तहसील अलवर जिला अलवर इस हद तक अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि भू–राजस्व अधिनियम एवं अन्य राजस्व नियमों को दृष्टिगत रखते हुऐ प्रकरण मे विधिक रूप से प्रर्याप्त साक्ष्य/सबूत पेश करने का प्रर्याप्त अवसर अवसर/समय प्रदान करते हुये पुनः नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

निर्णय आज दिनांक ०५-११-२५ को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner